

नाम आवासीय 34/1/23  
 क्षेत्र संख्या 25/3/23  
 शासिका/कोष नाम 11/1/23  
 आका विस्तृत रूप से


क्र. संख्या	दिनांक आका वा कार्रवाई	आका विस्तृत रूप से
	10/1/23	पत्रावली पेश हुई। 18/1/23 को कार्रवाई के लिए पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जवाब दिनांक 7/1/23 को पेश है
	7/1/23	पत्रावली पेश हुई। 9/1/23 को पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जवाब दिनांक 29/1/23 को पेश है
	29/1/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा पत्रावली का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/1/23 को पेश है
	5/1/23	पत्रावली पेश 35/1/23 को 30/1/23 को पत्रावली को 20/3/23 को वाट वाट लाबाउ लागाई गई। लेकिन बाकउड (अवकाश) के अडल लाई। पत्रावली को 20/3/23 को पत्रावली कार्रवाई लापुल हो लाई जाती है। पत्रावली को 9/1/23 को 13/1/23 को पत्रावली का अडल दिनांक 6/1/23 को पेश है

श्री अरुण  
 कुमार भण्डार  
 रामजी/कोष प्रमुख  
 शासिका/कोष नाम  
 लाला रामजी काभली  
 ग्राहक शासिका/कोष नाम  
 श्री अरुण नाम सहित  
 श्री अरुण रामजी काभली  
 29/08/23

# फर्द अहकाम

स्थान: उपखण्ड अधिकारी जयपुरासिवादि  
 शान्ति डेवर/पत्रिका बनाम साकार वरें  
 संख्या/वर्ष: 25/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/9/23	<p>पत्रावली पेश 30.1 वकील पार्थिव डण्डा                      पत्रावली माहेश के विचारधीन है।                      पत्रावली का मजलूमन किशोरगण                      वरें वकील वाडीगण की वरें का मत                      किशोरगण/मत्रा पत्रावली का                      मजलूमन करके व वरें का मत                      करके वरें वाडीगणों का वाड मजलूमन                      धारा 88 आर.डी. एक्ट की मुलाक                      -उठाने के माध्यम वरें फीकर                      किशोरगण विरुद्ध निर्णय हुआ                      है किशोरगण विरुद्ध वाडीगण                      किशोरगण किशोरगण/पत्रावली                      के माध्यम से वरें वाड मजलूमन                      है वरें वाड वरें वरें वाड मजलूमन                      करके है।</p>	

  
 सुप खण्ड अधिकारी  
 जयपुरासिवादि